



अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), ग्वालियर रोड झॉसी (उ०प्र०)।

Email Add:- ccddupjnjhansi@gmail.com Mob. No. 9473942725

पत्राक
सेवा मे,

1585 / ज.जी.एम - झनौटा / 31

दिनांक- 07-7-2026

विषय :-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला-झॉसी।

भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन की महत्वाकांक्षी एवं शीर्ष प्राथमिकता वाली जल जीवन मिशन योजना के कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने के सापेक्ष श्री राजन गोयल, प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स बी.जी.सी.सी. के विरुद्ध प्रार्थमिकी (FIR) दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद झॉसी में भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन की महत्वाकांक्षी एवं शीर्ष प्राथमिकता वाली जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मऊरानीपुर/गुरसरांय में इमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजना (सम्मिलित ग्राम 87 नग) के कार्यों हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा मैसर्स बी.जी.सी.सी. नई दिल्ली को अनुबन्ध संख्या 14/ई.डी./2020-21 दि. 20 जुलाई, 2020 के अन्तर्गत अनुबन्धित किया गया है। अनुबन्धानुसार योजना के कार्यों को प्रारम्भ करने की तिथि 20.07.2020 एवं कार्यों को पूर्ण करने की तिथि 19.07.2022 निर्धारित की गयी थी। परन्तु IMIS पोर्टल पर योजनान्तर्गत कराये जा रहे विभिन्न क्रियाकलापों की प्रविष्टि हेतु योजना के EOT (Extention of Time) हेतु पोर्टल पर तिथि 31.12.2026 दर्ज की गयी है। अनुबन्ध गठन को लगभग 06 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी फर्म द्वारा योजना में सम्मिलित कुल 87 नग ग्रामों के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 18 नग ग्रामों में ही शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करायी जा सकी है, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अत्यन्त कम है। फर्म द्वारा कार्यों के प्रति बरती जा रही लापरवाही से स्पष्ट है कि फर्म द्वारा EOT हेतु निर्धारित तिथि तक भी योजना के अवशेष 69 नग ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जानी सम्भव प्रतीत नहीं हो रही है। योजना के कार्यों को वर्तमान तक पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण स्थानीय लोगों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जो विधि अनुरूप नहीं है। अनुबन्धित फर्म द्वारा ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी/काटी गयी सड़कों के कारण ग्रामवासियों को अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एवं आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं, जिसकी शिकायतें ग्राम प्रधानों द्वारा भी उपलब्ध करायी गयी हैं। (छायाप्रति संलग्न) साथ ही अत्यन्त पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामों में भी वर्तमान तक पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जिसकी शिकायतें ग्रामवासियों द्वारा मा० जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के माध्यम से दिन प्रतिदिन प्राप्त हो रही हैं। साथ ही ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ न होने तथा ग्रामों की सड़कें क्षतिग्रस्त होने कारण समाचार पत्रों में भी विभाग के प्रति नकारात्मक समाचार प्रकाशित होते हैं, जिस कारण विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। अनुबन्ध में निहित शर्तों के अनुसार कार्यों को समय से पूर्ण न करने एवं कार्यों के प्रति लापरवाही/उदासीन रवैया अपनाने के कारण फर्म के विरुद्ध अनुबन्धित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत का अर्थदण्ड अध्यारोपित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा अपनी कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया है तथा वर्तमान में भी योजनाओं के अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। दिनांक 20 एवं 21.06.2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० सरकार के जनपद झॉसी भ्रमण के दारौन दिनांक 20.06.2026 को आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों को वर्तमान तक पूर्ण न करने के दृष्टिगत रोष व्यक्त करते हुये सम्बन्धित फर्म मैसर्स बी.जी.सी.सी. के विरुद्ध प्रार्थमिकी (FIR) दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों एवं उक्त विकास खण्डों के विभिन्न ग्राम प्रधानों द्वारा प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुये इमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म मैसर्स बी.जी.सी.सी. नई दिल्ली के प्रबन्ध निदेशक श्री राजन गोयल, 4th Floor, Vikas Surya Shopping Mall, Plot No. 18, Manglam Palace, Sector-3, Rohini, New Delhi-110085 के विरुद्ध प्रार्थमिकी (FIR) दर्ज करते हुये अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मुकेश कुमार सिंह)
अधिशायी अभियन्ता

पृ०सं० संख्या एवं दिनांक यथोपरि -

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधिशायी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. आयुक्त महोदय, झॉसी मण्डल, झॉसी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
6. जिलाधिकारी महोदय, झॉसी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झॉसी।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय (सिविल एवं वि./यौ.), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झॉसी।
9. मुख्य विकास अधिकारी, झॉसी।
10. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झॉसी।

983 New Letter Current-25 Dheerendra

अधिशायी अभियन्ता

